न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—34/2021 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा—हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार।

——प्रार्थी

बनाम

ऋणी—1 (ऋण खाता सं. 61131754091)
श्री संजय कुमार सेठी पुत्र श्री श्रेष्ठ कुमार सेठी
श्रीमती सुनीता सेठी पत्नी श्री संजय कुमार सेठी R/O मकान नं. 204 वार्ड नं. 11, दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन।
C/O सेठी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान नं. 09, 10, दुर्गा मंदिर कॉम्प्लेक्स हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़।
ऋणी—2
मैसर्स सेठी इलेक्ट्रॉनिक्स जरिये पार्टनर्स (ऋण खाता सं. 61217290202)
1. श्री बलविन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रेष्ठ कुमार
2. श्री संजय कुमार सेठी पुत्र श्री श्रेष्ठ कुमार सेठी
3. श्री भारत भूषण पुत्र श्री श्रेष्ठ कुमार

——ऋणीगण

जमानती स्व. विमला देवी (मृतक) पत्नी श्री श्रेष्ठ कुमार सेठी के उत्तराधिकारी
1. श्री बलविन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रेष्ठ कुमार
2. श्री संजय कुमार सेठी पुत्र श्री श्रेष्ठ कुमार सेठी
3. श्री भारत भूषण पुत्र श्री श्रेष्ठ कुमार
4. श्रीमती पुनिता पत्नी श्री राकेश चोपड़ा।

R/O मकान नं. 204 वार्ड नं. 11, दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़।

——उत्तराधिकारीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

आदेश दिनांकः—31.12.2021

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा—हनुमानगढ़ जंक्शन जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार की ओर से श्री अमित कुमार वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को 28,00,000/—(अखरे अठाइस लाख रूपये मात्र) (रूपये 17,50,000/— ऋण खाता संख्या 61131754091 दिनांक 04.10.2012 को व रू. 10,50,000/— ऋण खाता संख्या 61217290202 दिनांक 28.03.2014 को) की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई थी। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा के तहत प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भूगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज एवं खर्चों के

अदा करने की गारन्टी के रूप में अपनी रिहायशी अचल सम्पत्ति मकान नं. 204(पूर्व मुखी), वार्ड नं. 11 दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ(बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 25'6'' गुणा 45') में स्थित है जो कि स्व. विमला देवी(मृतक) पत्नी श्री श्रेष्ठ कुमार के नाम से है, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के उक्त ऋण को समय पर चुकाने में असफल होने और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के ऋण खाता को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा–निर्देशानुसार दिनांक 28.11.2018 व 28.07.2019 को गैर–निष्पादनीय आस्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 12.09.2019 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 22,58,675/–(रूपये बाईस लाख अठावन हजार छः सौ पिचहत्तर रूपये मात्र) (रूपये 1166790/– व रूपये 1091885/–) दिनांक 12.09.2019 तक का (ब्याज दिनांक 11.09.2019 तक का) व आगे का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के अदा करने की मांग की गई। प्रार्थी बैंक के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

भारतीय स्टेट बैंक शाखा–हनुमानगढ जंक्शन जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से उपस्थित वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा भारतीय स्टेट बैंक शाखा–हनुमानगढ़ जंक्शन जरिये प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा अचल सम्पत्ति रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 204(पूर्व मुखी), वार्ड नं. 11 दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ(बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 25'6'' गुणा 45') में स्थित है जो कि स्व. विमला देवी(मृतक) पत्नी श्री श्रेष्ठ कुमार के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ व प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 31.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़